I/854981/2022

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
Directorate General of Performance Management
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Indirect Taxes & Customs
5 वीं मंजिल, ड्रम शेप बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट,
5th Floor, Drum Shape Building, I.P. Bhawan, I.P.Estate,
नई दिल्ली / New Delhi–110002

सेवा में,

1. सभी आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. सीमा शुल्क के सभी आयुक्त
3. सीबीआईसी के तहत निदेशालयों के सभी अपर महानिदेशक (प्रशासन)।

महोदया/महोदय,

विषय: सीबीआईसी के तहत क.अनु.अधि. और व.अनु.अधि. के पद के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने - के संबंध में।

कृपया सीबीआईसी के तहत क.अनु.अधि. और व.अनु.अधि. के पद के लिए स्थानांतरण एवं तैनाती दिशानिर्देश का मसौदा देखें, जिसके लिए डीजीपीएम संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया इसका व्यापक प्रचार किया जाए और आपके प्रभार में कार्यरत सभी हितधारकों के ध्यान में लाया जाए। इसे पब्लिक डोमेन यानी डीजीपीएम की वेबसाइट पर भी रखा गया है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों पर कोई भी टिप्पणी/सुझाव इस निदेशालय को **01.12.2022** तक भेजा जा सकता है। इसे vinayv.d109201@gov.in पर ई-मेल द्वारा भी भेजा जा सकता है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि

(अनित जैन)
सहा. निदेशक (संवर्ग)

I/854981/2022

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
Directorate General of Performance Management
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क
Indirect Taxes & Customs
5 वीं मंजिल, ड्रम शेप बिल्डिंग, आई.पी. इस्टेट,
5th Floor, Drum Shape Building, I.P. Bhawan, I.P.Estate,
नई दिल्ली / New Delhi–110002

प्रारूप

सीबीआईसी के अंतर्गत कार्यरत कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए स्थानांतरण/तैनाती दिशानिर्देश

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सीबीआईसी के तहत विभिन्न संरचनाओं को वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (व.अनु.अधि.) और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अनु.अधि.) के पद आवंटित किए गए हैं। ये ग्रुप बी (अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद हैं, जिसके लिए डीजीपीएम सीसीए है।

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती दिशानिर्देश व.अनु.अधि./क.अनु.अधि. के ग्रेड में तैनाती और स्थानांतरण में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सीबीआईसी के तहत संरचनाओं में राजभाषा के कार्य से संबंधित प्रशासन की दक्षता में सुधार करने के लिए जारी किए गए हैं।

1. अनुप्रयोज्यता:

1.1 ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से लागू होंगे और यही विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं में तैनात कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (क.अनु.अधि.) और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (व.अनु.अधि.) के साथ-साथ सीबीआईसी के तहत निदेशालयों पर भी लागू होंगे।

1.2 एक अधिकारी को प्रशासनिक अनिवार्यताओं/अधिकारी के विधिवत संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त /प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक, जिसके अधीन वह तैनात है, के अनुमोदन के साथ अग्रेषित अनुरोध के आधार पर सीसीए, डीजीपीएम द्वारा किसी भी समय एक स्थल/संरचना से दूसरे स्थल/संरचना में स्थानांतरित किया जा सकता है।

2. एजीटी के लिए स्थानांतरण समिति

स्थानांतरण समिति, जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं, इन दिशानिर्देशों के अनुसार व.अनु.अधि./ क.अनु.अधि. के स्थानांतरण के लिए अपनी सिफारिशें करेंगी।

(क) प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक (संवर्ग), डीजीपीएम, नई दिल्ली, (अध्यक्ष)
(ख) अपर/संयुक्त निदेशक (संवर्ग), डीजीपीएम, नई दिल्ली, (सदस्य)
(ग) अपर/संयुक्त निदेशक (प्रभारी राजभाषा), डीजीपीएम, नई दिल्ली, (सदस्य)
(घ) उप/सहायक निदेशक (संवर्ग), डीजीपीएम, नई दिल्ली, (सदस्य)

3. विभिन्न संरचनाओं में अधिकारियों की पदस्थापना

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को जोन/निदेशालयों में तैनात किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीसीए, डीजीपीएम को सूचित करते हुए उन्हें आगे विभिन्न कार्यालयों में तैनात करेंगे। हालांकि निदेशालयों के मामले में, तैनाती का स्थल सीसीए, डीजीपीएम द्वारा तय किया जाएगा। निदेशालय के प्रमुख सीसीए, डीजीपीएम को सूचित करते हुए निदेशालय के उसी

स्थल पर एक अधिकारी को स्थानांतरित कर सकते हैं।

4. एजीटी के लिए समय-सीमा

क्र.सं.	**कार्य की मद**	**तक किया जाना है**
1	**डीजीपीएम द्वारा देय सूची तैयार करना**	**मार्च का पहला सप्ताह**
2	**डीजीपीएम की वेबसाइट पर देय सूची को अपलोड करना**	**मार्च का दूसरा सप्ताह**
3	**स्थानांतरण/प्रतिधारण के लिए विकल्प/अनुरोध/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि**	**31 मार्च (देय सूची अपलोड करने के 2 सप्ताह बाद)**
4	**स्थानांतरण समिति की सिफारिशें**	**अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक**
5	**एजीटी आदेश जारी करना**	**30 अप्रैल (31 मई के बाद नहीं)**

5. <u>पदस्थापना की अवधि</u>

एक अधिकारी का कार्यकाल सामान्य रूप से एक आयुक्तालय/निदेशालय में लगातार **5** वर्ष का होगा। तथापि**,** एक से अधिक आयुक्तालय/निदेशालय वाले स्थल पर कार्यकाल **10** वर्ष का होगा। हालांकि**,** अनुबंध में उल्लिखित स्थलों पर निरंतर तैनाती की अवधि **15** वर्ष होगी। इसी तरह**,** सीमा शुल्क/सीजीएसटी जोन में एक अधिकारी की लगातार तैनाती की अवधि **15** वर्ष होगी। एक जोन या निदेशालय या स्टेशन में एक अधिकारी का कुल कार्यकाल अधिकतम **20** वर्ष होगा।

6. <u>कंप्यूटिंग कार्यकाल के लिए सामान्य दिशानिर्देश</u>

उपरोक्त कार्यकाल की गणना करते समय क.अनु.अधि. और व.अनु.अधि. के संयुक्त कार्यकाल पर विचार किया जाएगा। निलंबन की अवधि, यदि कोई हो, को कार्यकाल की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

7. <u>पदोन्नति पर अधिकारियों का स्थानांतरण</u>

एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, पदोन्नति पर, सामान्यतः उसकी वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8. <u>संवर्ग के बाहर प्रतिनियुक्ति</u>

8.1 प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्थानांतरण के लिए संवर्ग स्वीकृति पर सीसीए, डीजीपीएम द्वारा कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि का सख्ती से पालन किया जाएगा, जैसा कि डीओपीटी द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन-II) दिनांक 17.06.2010 द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

8.2 प्रत्यावर्तन/कार्यकाल पूरा होने पर अधिकारी सीसीए, डीजीपीएम के कार्यालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की सूचना देंगे, जहां से उनकी आगे की तैनाती तय की जाएगी।

9. <u>अधिकारियों का अभ्यावेदन</u>

स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब पदस्थापना के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण पश्चात और संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक जिसके अधीन वह तैनात है के अनुमोदन से उसे विधिवत रूप से अग्रेषित किया गया हो।

10. <u>विविध</u>

10.1 प्रशासनिक आवश्यकताओं पर एक अधिकारी को किसी भी निदेशालय/स्थल पर तैनात किया जा सकता है।

10.2 जो अधिकारी 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उनके अनुरोध के अलावा सामान्यतया स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

I/854981/2022

10.3 विकलांग बच्चे, कामकाजी पति/पत्नी या बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चे के आधार पर अधिकारियों के किसी भी स्टेशन पर रोके जाने के अनुरोध पर जहां तक संभव हो, मौजूदा मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

10.4 इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत को डीजीपीएम को संबोधित किया जा सकता है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण है।

10.5 इन दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन के लिए सीसीए, डीजीपीएम के पूर्व लिखित अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

****

I/854981/2022

अनुलग्नक

1. मुंबई (ठाणे, ठाणे-ग्रामीण, बेलापुर, रैगड़, भिवंडी, पालघर, नवी मुंबई और न्हावा शेवा सहित)

2. दिल्ली (फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद सहित)

3. चेन्नई

4. कोलकाता (हावड़ा और हल्दिया सहित, यदि कार्यालय कोइकाटा में स्थित है)

5. बेंगलुरु।

6. हैदराबाद (सिकंदराबाद, मेडचल और रंगा रेड्डी सहित, यदि कार्यालय हैदराबाद/सिकंदराबाद में स्थित है)

7. अहमदाबाद (गांधीनगर सहित)